जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हीमपुर दीपा **दिनांक – 11.02.2024**

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने अभियुक्त को 150 किलोग्राम गोवंशीय मांस, गोकशी में प्रयुक्त उपकरण (इलेक्ट्रॉनिक कांटा, चापड, छुरी आदि) व स्विफ्ट डिजायर कार सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व पशु कटान/गोकशी की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने तथा गोवध आदि घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा ग्राम मसीत से गोवध करते हुए अभियुक्त जाबिर पुत्र अमीर अहमद निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से करीब 150 किलोग्राम गोवंशीय पशुओं का मांस, गोवध में प्रयुक्त उपकरण (एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, तीन चापड, चार छुरी, एक गोल रॉड) व एक स्विफ्ट डिजायर कार रजि0 सं0 DL1CX7959 बरामद की गयी।

अभियुक्त के अन्य 10 साथी 1.वसीम पुत्र शमीम 2.आजम उर्फ काला पुत्र शहीद 3.हनीफ पुत्र रसीद 4.फैसल पुत्र मुस्तकीम 5.रहीस पुत्र हफीज 6.वाहिद पुत्र असगर 7.नईमुद्दीन पुत्र बशीरूद्दीन 8.अय्यूब पुत्र बाबू 9.अकरम पुत्र अय्यूब समस्त निवासीगण ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 10.लईक पुत्र शाहबुद्दीन उर्फ नन्हे निवासी नसीरपुर शेख थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर मौका पाकर घटना स्थल से फरार हो गये। इस सम्बन्ध मे थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 10/2024 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम बनाम जाबिर आदि उपरोक्त कुल 11 नफर पंजीकृत किया गया। शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

जाबिर पुत्र अमीर अहमद निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

बरामदगी –

150 किलोग्राम गोवंशीय पशुओं का मांस

गोवध में प्रयुक्त उपकरण (एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, तीन चापड, चार छुरी, एक गोल रॉड छुरियो पर धार लगाने वाली)

एक स्विफ्ट डिजायर कार रजि0 सं0 DL1CX7959

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1.उ0नि0 श्री शेर सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री रणवीर सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

3.हे0कां0 356 प्रकाशवीर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

4.है0कां0 546 राहुलदीप थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

5.कां0 1281 मनोज कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

6.कां0 2344 कुश कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना बढ़ापुर **दिनांक – 11.02.2024**

थाना बढ़ापुर पुलिस ने हिस्टीशीटर अभियुक्त को 60 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण (शराब भट्ठी) सहित किया गिरफ्तार। मौके पर 200 लीटर लाहन किया नष्ट।

कार्यवाही का विवरण –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, विक्रय, परिवहन आदि करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध कच्ची शराब की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.02.2024 को थाना बढ़ापुर पुलिस द्वारा जंगल ग्राम कोटजुआना मे अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब का निष्कर्षण कर रहे अभियुक्त गुरदीप पुत्र प्यारा निवासी ग्राम मधपुरी थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का एक अन्य साथी मौका पाकर फरार हो गया। मौके से तीन जरीकेनों में 60 लीटर अवैध कच्ची शराब खाम, तीन किलो यूरिया, ड्रम, पतीली, मग, बाल्टी, फावडा आदि बरामद किया गया तथा 200 लीटर लाहन मौके पर ही नष्ट किया गया। इस संबंध में थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 27/2024 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व धारा 272/273 भादवि पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त गुरदीप उपरोक्त थाना बढापुर का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त (हिस्ट्रीशीट सं0 – 31A) तथा शातिर शराब माफिया है, जिसके विरुद्ध थाना बढापुर पर 30 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गुरदीप पुत्र प्यारा निवासी ग्राम मधपुरी थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

तीन जरीकेनों में लगभग 60 लीटर अवैध कच्ची शराब खाम

तीन किलो यूरिया, एक ड्रम, एक पाईप एल्यूमीनियम, एक पाईप रबड, एक पतीली एल्यूमीनियम, एक मग, एक बाल्टी प्लास्टिक, एक फावडा आदि

200 लीटर लाहन मौके पर नष्ट

अभियुक्त गुरदीप का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 333/2003 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 334/2003 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
3.मु0अ0सं0 348/2003 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
4.मु0अ0सं0 67/2004 धारा 60/62 आबकारी अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
5.मु0अ0सं0 65/2007 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
6.मु0अ0सं0 387/2007 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
7.मु0अ0सं0 22/2008 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
8.मु0अ0सं0 655/2009 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
9.मु0अ0सं0 79/2009 धारा 60/72 आबकारी अधि0, धारा 272 भादवि थाना बढ़ापुर बिजनौर
10.मु0अ0सं0 105/2010 धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
11.मु0अ0सं0 82/2010 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
12.मु0अ0सं0 83/2010 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
13.मु0अ0सं0 192/2010 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
14.मु0अ0सं0 35/2011 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
15.मु0अ0सं0 130/2011 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
16.मु0अ0सं0 223/2011 धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
17.मु0अ0सं0 235/2011 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
18.मु0अ0सं0 112/2012 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
19.मु0अ0सं0 155/2012 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
20.मु0अ0सं0 333/2012 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
21.मु0अ0सं0 310/2014 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
22.मु0अ0सं0 256/2014 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
23.मु0अ0सं0 270/2019 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
24.मु0अ0सं0 98/2020 धारा 60(2)/72 आबकारी अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
25.मु0अ0सं0 140/2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
26.मु0अ0सं0 27/2021 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
27.मु0अ0सं0 180/2021 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
28.मु0अ0सं0 10/2022 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
29.मु0अ0सं0 09/2023 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
30.मु0अ0सं0 27/2024 धारा 60(2) आबकारी अधि0 272/273 भादवि थाना बढ़ापुर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उपनिरीक्षक श्री मुन्नालाल गौतम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 721 सोनू कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर

3.हे0कां0 656 बिजेन्द्र सिह थाना बढापुर जनपद बिजनौर

4.कां0 2454 अरविन्द कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर

5.कां0 165 पंकज कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा **दिनांक – 11.02.2024**

थाना स्योहारा पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की गयी ई-रिक्शा सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 10.02.2024 को वादी श्री महफूज पुत्र मकसूद निवासी मौ0 अफगानान कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि दिनांक 09.02.2024 की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा वादी की ई-रिक्शा चोरी कर ली गयी। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 61/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त तालिब पुत्र अ0 रहमान निवासी मौ0 चौधरियान कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वाहन चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.02.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त तालिब पुत्र अ0 रहमान निवासी मौ0 चौधरियान कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को चोरी की गयी ई-रिक्शा (रंग नीला व पीला) सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

तालिब पुत्र अ0 रहमान निवासी मौ0 चौधरियान कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक ई-रिक्शा (रंग नीला व पीला)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 595 प्रमोद कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

3.कां0 2069 राजकुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर दिनांक – 11.02.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्ता को 10 ग्राम चरस सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध नशीले पदार्थों के विक्रय, परिवहन आदि करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध नशीले पदार्थों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जिला कारागार प्रशासन व थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्ता अमीर फात्मा पत्नी जाहिद हुसैन निवासी ग्राम तरीकमपुर रूपचन्द्र उर्फ टिक्कोपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को 10 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 125/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व धारा 42 कारागार अधिनियम बनाम अमीर फात्मा उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता –

अमीर फात्मा पत्नी जाहिद हुसैन निवासी ग्राम तरीकमपुर रूपचन्द्र उर्फ टिक्कोपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

10 ग्राम चरस

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1.उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2.मुख्य आरक्षी 858 अनुराग थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3.म0कां0 1183 रेनू थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नहटौर **दिनांक 11.02.2024**

थाना नहटौर पुलिस ने अभियुक्त को 20 पाउच अवैध देशी शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.02.2024 थाना नहटौर पुलिस द्वारा अभियुक्त अजब सिंह पुत्र बुद्ध सिंह नि0 ग्राम दामनगर लकड़ा थाना नहटौर जनपद बिजनौर को 20 पाउच अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 49/2024 धारा 60(1) आबकारी अधि0 बनाम अजब सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अजब सिंह पुत्र बुद्ध सिंह नि0 ग्राम दामनगर लकड़ा थाना नहटौर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

20 पाउच अवैध देशी शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. मुख्य आरक्षी 496 नरेश पुनिया थाना नहटौर जनपद बिजनौर
2. का0 1356 अंकित चौहान थाना नहटौर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांकः- 11.02.2024**

जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.02.2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1.	बढापुर	फुरकान पुत्र दिलपाक नि0 मौ0 संतियान कस्बा व थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
2.	नहटौर	सरफराज पुत्र शाकिर नि0 मौ0 हाथीवाला मन्दिर कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर
3.	नजीबाबाद	नवीन कुमार पुत्र प्रेम चन्द नि0 मौ0 गडरियान कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4.	नजीबाबाद	लोकेन्द्र सिंह पुत्र जयराम सिंह नि0 ग्राम गुनियापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
5	मंडावर	जयप्रकाश उर्फ टर्रू पुत्र अनूप सिह नि0 मौ0 पटवारियान थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
6	मंडावर	पप्पू पुत्र परम सिंह नि0 वीरूवाला थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
7	मंडावर	बिजेन्द्र उर्फ अर्जुन पुत्र पालेराम नि0 ग्राम तारापुर थाना हस्तिनापुर मेरठ हाल पता ग्राम सीमला कला थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
8.	मंडावली	जीशान पुत्र मौ0 उस्मान निवासी ग्राम भागूवाला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

थाना बढापुर

थाना नहटौर

थाना नजीबाबाद

थाना मंडावर

थाना मंडावली